FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB AMBALA **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 30/03/2018 19:53 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	167
3	IPC 1860	218
4	IPC 1860	409
5	IPC 1860	418
6	IPC 1860	420
7	IPC 1860	477-A
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(d)(ii)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/04/2014 **Date To (दिनांक तक):** 31/03/2016

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:20 hrs **Time To (समय तक):** 01:02 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/03/2018 **Time (समय):** 18:55 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 30/03/2018 19:13 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 90 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) Address (पता): प्राथमिक पाठशालायें,जि0 अम्बाला, कुरूक्षेत्र, कैथल

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

   District (State) (जिला (राज्य)): (HARYANA)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** P निरीक्षक नरेन्द्र कुमार

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 17/06/1985

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,, सैक्टर 11, अम्बाला शहरAMBALA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,, सैक्टर 11, अम्बाला शहरAMBALA, HARYANA, INDIA

(j)

Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.
Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू०डी०प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू०डी०प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला, श्रीमान जी, निवेदन है कि माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा IOIN-LPA No. 1391 of 2015 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2017 की अनुपालना में जांच क्रमांक 04 दिनांक 12.05.2017/रोहतक दर्ज की गई थी जिसमें समस्त हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में लगभग चार लाख छात्रों की अधिक संख्या दिखाकर उन्हे दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के गबन व अध्यापकों की अवश्कयता दिखाने की जांच की जानी थी। इस जांच के लिए विषेश जांच दल का गठन किया गया तथा विषेश जांच दल द्वारा की गई जांच में पाया गया कि on the basis of data provided by the Elementary School Education Department itself, it is a clear case of fake enrolment of students- because in Elementary Education Department, due to no-retention policy and non-striking off names of students due to absence, there cannot be any reasons for such huge difference in the numbers of students in the next academic session. For the transfer cases/school leaving certificate cases and drop-out cases, there must be entry in the record of the school. In the absence of any such explanation, this is a clear case of criminal breach of trust (by misappropriation of funds of various students-related schemes) and fabrication of official record by the concerned public servants. Physical verification of record of one Primary/Elementary school in each district in their jurisdiction was got done by the three SsP of State Vigilance Bureau Ranges Rohtak, Hisar and Gurugram on random basis. In the 5 schools of Rohtak Range difference of 472 number of students was found during the check- period. Similarly in the 5 schools of Hisar Range difference of 581 number of students was found and in 6 Schools of Gurugram Range, difference of 589 number of students was found. Such huge difference is without any explanation. The names of students have been shown to have been struck-off due to long-absence, whereas there was policy of non-striking of the names. Moreover, the address of the students are incomplete, rendering their physical verification impossible. As per the information given by Elementary Education Department through their officers Sh. R.P. Sangwan, Joint Director, Elementary Education, Haryana and Sh. Dilbagh Singh, Joint Director, O/O Director Elementary Education Haryana who appeared before the SIT, after computerization i.e. feeding of Aadhar numbers and Bank Account with Student IDs, a

huge number of discrepancy in records of enrolment of students was found which was compiled at the block level. This shows that fictitious student had been enrolled in various schools. Now comes the motive for such fictitious enrolments. The perusal of various schemes of the Education Department makes it clear that several benefits were being given in cash and in kind to students so enrolled. Hence, a larger number of students would mean that much more amount as grant available to Principals and other officials within the system. So, the motive is also established and it is established that a large amount of money sanctioned for various schemes for students was embezzled and misappropriated. Thus the Crime is complete. Further it needs to be clarified as to who benefited from the such embezzlement and to what extent. The study of the systems by which such money was disbursed shows the route beginning from the department of Elementary Education through DEOs to principals of each school. This is a large network of officers and officials of the Department of Education. It is therefore, imperative, then that detailed and correct investigation be done to examine the role of those who have indulged in criminal practices and separate those who have acted in good faith. इस रिपोर्ट में a case u/s 167, 218, 409, 418, 420, 477-A, 120-B, IPC and section 13(1)(c), 13(1)(d)(ii), read with 13(2) of P.C. Act दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। विशेष जांच दल द्वारा अपनी रिपोर्ट 07.03.2018 को राज्य चौकसी ब्यूरो, मुख्यालय, पंचकुला में प्रस्तुत की गई थी जिसके अधार पर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकूला ने अपनी टिप्पणी पत्र क्रमांक 3497/रा0चौ0ब्यूरो(ह0) दिनांक 20.03.2018 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी जो अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 63/33/17-VII दिनांक 28.03.2018 अनुसार अनुमोदित हो कर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में प्राप्त हुई है। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये वर्ष 2014-15 व 2015-16 के आंकड़ों में अन्तर हरियाणा के सभी जिलों में पाया जाने पर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला ने अपने पत्र क्रमांक 3843-50/आई-6/रा0चौ0ब्यूरो0 दिनांक 30.03.2018 के अनुसार पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरूग्राम तथा फरीदाबाद को अपने-अपने थाना क्षेत्र के अधीन हुए अपराध के सम्बन्ध में अलग-अलग मुकदमे दर्ज करने हेतू जांच रिपोर्ट भेजी है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 467 दिनांक 30.03.2018 के अनुसार मन P/Inspector को तहरीर तैयार करके, पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के क्षेत्र के अन्तर्गत हुये अपराध के सम्बन्ध में प्राप्त होने पर उक्त आदेशों की अनुपालना में प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा के अधिकारी/कर्मचारी व अन्य के विरूद्व अभियोग जेर धारा 167, 218, 409, 418, 420, 477-A 120-B, IPC and section 13(1) (c), 13 (1) (d) (ii), read with 13(2) P.C Act 1988 के तहत मुकदमा अंकित करने व आगामी अनुसंधान के आदेशों सहित प्राप्त होनें पर लेख लिखकर भेजी जा रही है। बाद मुकदमा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर करके मिशल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड बराये तफतीश हवाले मन निरीक्षक की जावे। स्पैशल रिपोर्ट की प्रतियां इलाका मैजीस्ट्रेट साहब, अम्बाला व सम्बंधित अफसरान बाला की सेवा में भेजी जावे। अंग्रेजी हस्ताक्षर Narender Kumar, निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला। दिनांक 30.03.2018 समय 06.55 PM अज थाना- हस्ब आमदा उपरोक्त तहरीर प्राप्त होनें पर बा हवाला रपट न. 06 दिनांक 30.03.2018 समय 19.13 PM पर अभियोगांक 02 दिनांक 30.03.2018 धारा 167, 218, 409, 418, 420, 477-A, 120-B, IPC and section 13(1) (c), 13 (1) (d) (ii), read with 13(2) P.C Act के तहत दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त मुख्य सिपाही निर्भय सिहं न. 21/अम्बाला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला के इलाका मैजीस्ट्रेट साहब अम्बाला भिजवाई जा रही है व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारियों की सेवा में अलग से भिजवाई जा रही हैं। ईन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): NARENDER SINGH (I (Inspector))/206HAP **or (या)**

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): **Rank (पद): P/INSPECTOR**

NARENDER KUMAR (Inspector)

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): NARENDER SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 206HAP

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):